फा.सं.19030/1/2017-ई.IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, 18 अगस्त,2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: यात्रा भत्ता नियम - सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन।

यात्रा भत्ते के बारे में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्यवयन के संबंध में इस विभाग का दिनांक 13.07.2017 का समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन जारी किए जाने के परिणामस्वरूप इस विभाग में विभिन्न पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें मिश्रित स्थानांतरण अनुदान और यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की स्वीकार्यता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगे गऐ हैं।

2. विभाग में इस मामले पर विचार किया गया है और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया है कि मिश्रित स्थानांतरण अनुदान और स्थानांतरण एवं सेवानिवृत्ति पर निजी सामान का परिवहन इस प्रकार विनियमित किया जाएगा:-

i. ऐसे मामले में, जिसमें कर्मचारी का स्थानांतरण 01.07.2017 से पहले किया गया है और उसने 01.07.2017 से पहले कार्यभार ग्रहण कर लिया है, कर्मचारी पूर्व-संशोधित वेतनमान में मिश्रित स्थानांतरण अनुदान का पात्र होगा। यदि निजी सामान 01.07.2017 के बाद स्थानांतरित किया गया है, तो निजी सामान के परिवहन के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होगीं।

ii. ऐसे मामले में, जिसमें कर्मचारी का स्थानांतरण 01.07.2017 से पहले किया गया है और उसने 01.07.2017 को या उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है, कर्मचारी संशोधित वेतनमान में मिश्रित स्थानांतरण अनुदान का पात्र होगा। चूंकि निजी सामान 01.07.2017 के बाद स्थानांतरित किया जाएगा, इसलिए निजी सामान के परिवहन के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होगीं।

iii. सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि कोई कर्मचारी 01.07.2017 से पहले सेवानिवृत हो गया है, तो वह कर्मचारी पूर्व संशोधित वेतनमान में मिश्रित स्थानांतरण अनुदान का पात्र होगा। यदि निजी सामान 01.07.2017 के बाद स्थानांतरित किया गया है, तो निजी सामान के परिवहन के लिए संशोधित दरें स्वीकार्य होगीं।

निर्मला देव

(निर्मला देव)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि:- नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) ।